

पत्रांक /५०८५ /आयुक्त उत्तराखण्ड/ वाणिज्य/ विधि—अनुभाग/ पत्रा० ०३ / १२—१३ / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि—अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून ७५ दिसम्बर 2013


समस्त डिप्टी कमिशनर वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेंट कमिशनर वाणिज्य कर,  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

### परिपत्र

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम ४ के उपनियम (२) के अन्तर्गत)

आयुक्त बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या— विधि—३—१—४—सा०क०नि०—  
८५—८६—२/२०३३/ मुख्यालय, विधि अनुभाग दिनांक सितम्बर २१, १९८५ के द्वारा व्यापारियों के  
“सामान्य सर्वेक्षण”(Routine Survey) न किए जाने के सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया गया था।  
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ एवं उससे संबंधित नियमावली में “सामान्य सर्वेक्षण”  
(Routine Survey) जैसा कोई शब्द नहीं है। अतः कोई भ्रम की स्थिति न रहे, इस कारण परिपत्र दि०  
२१—०९—१९८५ को एतद्वारा निरस्त किया जाता है और साथ ही “सर्वेक्षण” के संबंध में दिनांक  
२१—०९—१९८५ से पूर्व जारी किये गये सभी परिपत्रों को भी निरस्त किया जाता है।

इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम  
२००५ एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली २००५ के अन्तर्गत निर्धारित विधिक व्यवस्थाओं  
एवं प्रतिबन्धों के अधीन, किसी ब्यौहारी या व्यक्ति के कारबार के स्थान अथवा वाहन एवं उसके  
अभिलेखों का ऐसा निरीक्षण, परीक्षण, अथवा जांच, जो आवश्यक हो, राक्षग प्राधिकारी द्वारा की जा  
सकती है।



(दिलीप जावलकर)

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड।

पृ० ०४ सं० ५०८५/ दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- २— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- ३— सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- ४— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- ५— एडिशनल कमिशनर (आडिट/ प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

पैज—२

-2-

- 6— ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यो) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइन्ट कमिश्नर(विझनुशासन/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9— ✓ श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क०नि०-३) देहरादून एवं Web-Information Officer को NIC एवं विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11— आई०टी०—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12— Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर 1Ind Floor 13— आर० रिंधुआ मार्ग गुम्बई—400001 गहराष्ट्र।
- 13— National Law House बी—२ मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14— National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 15— Swastk Publication एस०ई—२३३, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 16— Law Book Traders—१०—नगर निगम कापाउण्ड केसरगञ्ज रोड मेरठ ३० प्र०।
- 17— डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 18— अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, गोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 19— प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
- 20— दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।
- 21— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी ८१—मोती बाजार देहरादून।
- 22— The whole sale dealers Association 14— आढ़त बाजार देहरादून।
- 23— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन २२२/५ गांधी ग्राम देहरादून।
- 24— कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 25— शोध अनुभाग/स्थापना— अनुभाग मुख्यालय हेतु।
- 26— समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।



एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।